

कार्यस्थल पर सुरक्षा समिति की भूमिका, जिम्मेदारी, कामकाज और संरचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

June 19th – 21st, 2025

भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद (औद्योगिक सुरक्षा विभाग) (एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

DGFASLI और RLI फरीदाबाद के बारे में

DGFASLI भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जो कारखानों एवं डॉक्स में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने में मंत्रालय की सहायता करता है। क्षेत्रीय श्रम संस्थान (RLI), फरीदाबाद, DGFASLI के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जो कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करता है

कार्यक्रम की प्रस्तावना

सुरक्षा समिति एक संयुक्त श्रमिक-प्रबंधन टीम है जो नियोक्ता को सुरक्षित कार्यस्थल बनाने एवं बनाए रखने में सहायता करती है। इस समिति का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को तर्कसंगत और सहयोगात्मक ढंग से हल करने की क्षमता बढ़ाना है। यह सर्वविदित सत्य है कि सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा दिए बिना कारखाने दुर्घटनाओं की रोकथाम में सफल नहीं हो सकते। स्पष्ट उद्देश्य के बिना सुरक्षा समिति की बैठकें समय की बर्बादी मानी जा सकती हैं। प्रभावी सुरक्षा समिति बैठकें उद्योगों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

उद्देश्य

यह कार्यक्रम प्रबंधन और श्रमिकों की सक्रिय एवं संयुक्त भागीदारी के साथ कारखानों में एक सुरक्षा संस्कृति विकसित करना चाहता है।

पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु

- ➤ राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नीति का परिचय
- ➤ Heat Stress से बचाव के उपाय
- ञ्यावसायिक स्वास्थ्य भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (गर्मी की लहर से बचाव सहित)
- ➣ सुरक्षा समितियों का महत्व एवं उद्देश्य
- > सुरक्षा समिति के सदस्यों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
- > सुरक्षा समितियों के कार्य
- > दुर्घटना रोकथाम के मूल सिद्धांत
- ➤ संचार तकनीकें
- > सुरक्षा समिति बैठकों में प्रभावी भागीदारी के तरीके
- > औद्योगिक स्वच्छता एवं कार्य वातावरण निगरानी के पहलू

भागीदारी:

यह कार्यक्रम सुरक्षा समिति के सदस्यों, ट्रेड यूनियन नेताओं, इंजीनियरों, तकनीशियनों, पर्यवेक्षकों, सुरक्षा पेशेवरों एवं प्रबंधन कर्मियों आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है।

तिथि एवं समय:

तीन दिवसीय – 19 से 21 जून, 2025, प्रतिदिन सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक।

स्थानः कॉन्फ्रेंस रूम (नालंदा), क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद – 121010

प्रशासनिक एवं भुगतान विवरण

प्रति प्रतिभागी ₹5,000/- (पाँच हज़ार रुपये) संस्थागत शुल्क भारतकोश पोर्टल (https://bharatkosh.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। पाठ्यक्रम समन्वयक से नामांकन पृष्टि के बाद निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

- संस्थागत शुल्क में किसी भी प्रकार के रिफ्रेशमेंट/दोपहर के भोजन को शामिल नहीं किया गया है।
- एक बार जमा किया गया शुल्क वापस/समायोजित नहीं किया जाएगा।

भुगतान प्रक्रिया

- > https://bharatkosh.gov.in पर लॉगिन करें
- ≻ "त्वरित भुगतान" चुनें
- > मंत्रालय: 021 श्रम एवं रोजगार
- ➣ उद्देश्य: प्रशिक्षण एवं सेवा शुल्क
- > भुगतान एवं लेखा कार्यालय (PAO):030050 PAO(CLC), नई दिल्ली
- ➤ DDO कोड: 202195 (क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद)
- > टिप्पणी (अनिवार्य): सुरक्षा समिति पर प्रशिक्षण

(नोट: उपरोक्त टिप्पणी के बिना भारतकोश रसीद मान्य नहीं होगी)

आवास

प्रशिक्षण अवधि के दौरान उपलब्धता के आधार पर संस्थान के छात्रावास में सीमित संख्या में गैर-पारिवारिक आवास (दोहरे अधिभोग पर) निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

नामांकन एवं पंजीकरण

नामांकन 17 जून, 2025, तक ईमेल द्वारा पाठ्यक्रम समन्वयक, औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद – 121010 को भेजें। कार्यक्रम में भागीदारी इस संस्थान से पुष्टि के अधीन होगी।

प्रशिक्षण समन्वयक

श्री संजीव कुमार,

अतिरिक्त सहायक निदेशक (सुरक्षा)

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर-47, फरीदाबाद – 121010

फोन: 7289839761, 9432144318, 0129-2985558

ईमेल: sanjeev.kumar@dgfasli.nic.in, rlifaridabad@dgfasli.nic.ir

वेबसाइट: www.dgfasli.nic.in



क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार

कार्य स्थल पर सुरक्षा समिति की भूमिका, जिम्मेदारी, कार्यप्रणाली एवं संरचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 से 21 जून, 2025 (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

नामांकन एवं पंजीकरण फॉर्म

-	_		\sim	
प्रतिभा	गा	का	таа	रण
71111	111	777	177	/ · /

नाम (ब्लॉक अक्षरों में)	(हिंदी और अंग्रेजी दोनों में):
---	--------------------------------

- पदनामः
- संचार हेतु पताः
- 🔷 आयुः
- शैक्षिक योग्यताः
- कुल अनुभवः
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी:
- श्रेणी: (सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग)

प्रायोजक संगठन का विवरण (यदि कोई हो)

- नाम व पताः
- ♦ टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर:
- **♦** ई-मेल:

संस्थान/कार्यक्रम शुल्क विवरण

भारतकोश रसीद संख्याः	दिनांकः	दिनांकः		
स्थानः				
दिनांक:		(प्रतिभागी के हस्ताक्षर)		



कार्यस्थल पर सुरक्षा समिति की भूमिका, जिम्मेदारी, कामकाज और संरचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training Programme on Role, responsibility, functioning & structure of Safety Committee at the work place

June 19th - 21st, 2025

भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद (औद्योगिक सुरक्षा विभाग) (एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL FACTORY
ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, FARIDABAD
(Industrial Safety Division)
(An ISO 9001:2015 Certified Institute)

About DGFASLI and RLI Faridabad

DGFASLI is an attached office of the Ministry of Labour & Employment, Government of India and serves as a technical arm to assist the Ministry in formulating national policies on occupational safety and health in factories and docks. Regional Labour Institute (RLI) at Faridabad is a subordinate office under the DGFASLI and caters to occupational safety and health in factories.

Programme Preamble

A safety committee is a joint worker-management team that assists the employer in creating and maintaining a safe workplace. The aim of the committee is to enhance the ability of workers and employers to resolve safety and health concerns reasonably and co-operatively. It is a well-known truth that factories cannot be successful in preventing accidents without promoting safety and health. Safety committee meetings without a clear purpose can be perceived as a waste of time. Effective Safety committee meetings can play an important role to promote Safety and health culture in Industries

Objective

This programme intends to develop a Safety Culture in the factories with active and joint participation of management and workers.

Course Highlight

- Introduction to National Policy on Safety, Health & Environment
- ➤ Mitigation of Heat Stress
- Occupational Health Roles & Responsibilities including prevention from Heat Wave
- > Importance and purpose of Safety Committees
- Role and responsibilities of members of Safety Committees
- Functions of Safety Committees
- Basics of Accident Prevention
- Communication techniques
- > Ways for effective participation in Safety Committee meetings
- Aspects of Industrial Hygiene and Work Environment Monitoring

Participation: This programme is designed for the Safety Committee Members, Trade Union Leaders, Engineers, Technicians, Supervisors, Safety Professionals & Management personnel etc.

Date And Timings: Three days –19th to 21st June, 2025 from 10.00 to 1700 hrs.

<u>Venue</u>: Conference Room (Nalanda), Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 121010

Administrative and Payment Details:

Institution fee @ Rs 5000/- (Rs Five thousand only) per participant through Bharatkosh portal (https://bharatkosh.gov.in) may be deposited online by using the following steps after nomination confirmed from Course Coordinator. Institution fee does not include any refreshment/lunch. Fee once submitted will not be refunded/adjusted.

Payment Procedure:

- ❖ Login to https://bharatkosh.gov.in
- Quick payment
- Ministry: 021 Labour & Employment
- Purpose: Training and services fees
- ❖ Pay & Account Office (PAO): 030050:PAO(CLC), New Delhi
- ❖ DDO Code: 202195 (Regional Labour Institute, Faridabad)
- Remarks: Training on Safety Committee

(Note: Bharatkosh receipts without the aforesaid remarks will not be considered for confirmation).

Accommodation:

Currently, no accommodation facility is available in the institute premises due to administrative reasons.

Nomination & Registration: Nomination may be sent by email to the Course Coordinator, Industrial Safety Division, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 121010, on or before 17th June, 2025. Participation to the programme is subject to confirmation from this Institute.

Training Coordinator

Shri Sanjeev Kumar,

Addl. Asst. Director (Safety)

Regional Labour Institute Sector-47, Faridabad-121 010

Phone: 7289839761, 9432144318

0129-2985558

Email: sanjeev.kumar@dgfasli.nic.in

rlifaridabad@dgfasli.nic.in

Website: www.dgfasli.nic.in



REGIONAL LABOUR INSTITUTE FARIDABAD DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES

Ministry of Labour and Employment, Government of India

TRAINING PROGRAMME ON ROLE, RESPONSIBILITY, FUNCTIONING & STRUCTURE OF SAFETY COMMITTEE AT THE WORK PLACE

June 19th - 21st, 2025 (10:00 - 17:00 Hrs)

Nomination cum Registration Form

PARTICIPANT'S DETAILS Name (Block Letters) (In Hindi and English both): Designation: Address for Communication: Age: Qualification: **Total Experience:** Mobile No. and email id: BELONGS TO: (GEN / SC/ ST / OBC / PH) **DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION (if any)** Name & Address: Telephone No. / Mobile No. : E-mail: **INSTITUTE/PROGRAMME FEE DETAILS:** Bharatkosh Receipt No. Date: Place: _____ Date: __

(Signature of Participant)